

The Paternity and Paternal Benefit Bill, 2025-Introduced

Shrimati Supriya Sule (Baramati): I beg to move for leave to introduce the Bill to regulate the employment of persons in certain establishments for certain periods before and after becoming a parent and to provide for paternity and parental benefit and certain other benefits.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि कतिपय प्रतिष्ठानों में कतिपय अवधि के लिए माता-पिता बनने से पहले और बाद में व्यक्तियों के रोजगार को विनियमित करने तथा पितृत्व और माता-पिता हित लाभ और कतिपय अन्य लाभों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, I introduce the Bill.